प्राचार्य का कार्यालय नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना

निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगामी तीन वर्षो के लिये प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल, पटना हेतु भाडे पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (AC) वाहन की सेवा लेने हेतु इच्छुक वाहन मालिको/ट्रेभल्स एजेन्सियो से मुहरबन्द लिफाफे मे सील्ड निविदा राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित/स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्याबधि 10.00 बजे से 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायगा। निविदा दो तरह की होगी (क) तकनिकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा। दोनो निविदा अलग–अलग लिफाफे में सील्ड कर, पुनः उसे बडे लिफाफे में सील्ड कर,उस पर किस मद के लिये निविदा दिया जा रहा है,स्पष्ट अंकित करना होगा। निविदा कम्प्युटराईज टंकित होना चाहिए।हस्तलिखित व लिप्त लेपन वाले निविदा पर विचार नही किया जायगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि को क्रय समिति के द्वारा तकनिकी निविदा खोली जायगी।उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायगी। तकनिक निविदा खुलते समय निविदादाता स्वंय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा की नियम एवं शर्ते कालेज वेबसाईट NMCH.PATNA.ORG. से डाउनलोड किया जा सकता है।

18/6/24

प्राचार्य
नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना

18-6-24

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगामी तीन वर्षो के लिये प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना हेतु भाडा पर **टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन** की सेवा हेतु निविदा के नियम एवं शर्तेः–

(क) तकनिकी निविदा :–इसके तहत निम्न कागजात प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनिकी निविदा में अग्रधन के रूप में 25,000.00 (पच्चीस हजार)मात्र रू0 का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो प्राचार्य, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना के पदनाम से भुगतेय होगा।
2. तकनिकी निविदा में फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनिकी निविदा में फर्म के नाम का GST का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा
4. तकनिकी निविदा में निविदादाता का पैन कार्ड की छाया प्रति तथा निविदादाता का Assessment Year 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का आयकर रिर्टन की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
5. तकनिकी निविदा में काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
6. तकनिकी निविदा में सरकारी, सार्वजनिक उपकम अथवा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थानों में विगत तीन वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके लिये संबंधित संस्थान से निर्गत परफारमेंस प्रमाण पत्र एवं कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा :– इसके तहत वाहन का भाड़ा (चालक का परिश्रमिक सहित) मासिक दर/प्रति किलोमीटर दर सभी कर सहित उल्लेखित करना होगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का दर मान्य नहीं होगा।

निविदा के नियम एवं शर्ते :–

1. वाहन यथा संभव नया देना होगा। तीन वर्ष से अधिक पुराना वाहन मान्य नही होगा।
2. बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के मानदण्ड के अनुसार चालक को न्युनतम दैनिक मजदुरी का भुगतान करना होगा।
3. सफलीभुत निविदादाता को कालेज को दी जाने वाली वाहन का व्यवसायिक पंजीकरण,फिटनेस,रोड टैक्स अदायगी एवं प्रदूषण का अध्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कागजात मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अध्यतन होना चाहिए एवं इसके देयता की जिम्मेदारी पूर्णता वाहन मालिक की होगी।

3. सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 दिनों के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा इस आश्य का इकरारनामा 1000 रू0 मात्र के नन–जुडिसियल स्टाम्प पर वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. सफलीभूत निविदादाता को वाहन चालक का व्यपवसायिक ड्राईभिंग लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।

5.वाहन का रख–रखाव,परिचालन,मरम्मति एवं अन्य सभी प्रकार का खर्च वाहन मालिक को स्वंय करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का अलग राशि देय नही होगा।

6. वाहन उपयोग हेतु 24 धण्टे प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के नियंत्रण में रहेगा।

7.सेवा संतोष नही होने पर,वाहन खराव हो जाने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत (अधिकतम आधा घंटा के अन्दर) दूसरा वाहन (चालक सहित) उपलब्ध कराना होगा।ऐसा नही करने पर 1000–5000 रू0 तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

8.सफलीभूत निविदादाता को परफारमेंस सिकयुरिटी के रूप में कुल एग्रिमेन्ट राशि के 5% राशि का बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।

9. सफलीभूत निविदादाता को अधोहस्ताक्षरी से एग्रिमेन्ट करना होगा। एग्रिमेन्ट के पश्चात ही कार्यदेश निर्गत किया जायगा।

10.यह निविदा तीन वर्षो की होगा।परन्तु प्रथम एक वर्ष के लिये कार्यादेश निर्गत किया जायगा।प्रथम वर्ष की सेवा संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष के लिये कार्यादेश निर्गत किया जायगा उसी प्रकार दूसरे वर्ष की सेवा संतोषजनक पाये जाने पर तीसरे वर्ष के लिये कार्यादेश निर्गत किया जायगा।

11.नियमानुसार कर की कटौती विपत्र से किया जायगा।

12.बिहार सरकार से प्राप्त आवंटन से विपत्र का भुगतान किया जायगा।कतिपय कारणों से आवंटन उपलब्ध नही रहने अथवा विलम्व से प्राप्त होने की स्थिति में विपत्र भुगतान में विलम्व हो सकता है। विलम्व के लिये किसी प्रकार का सुद/ब्याज देय नही होगा।

13.जिन निविदादाता का तकनिकी निविदा विहित शर्तो के अधीन पाया जायगा,उन्ही के वित्तीय निविदा को कय समिति द्वारा खोला जायगा।

14.प्रतिदिन वाहन का परिचालन कुल कितने किलोमीटर हुआ तथा कहाॅ से कहाॅ तक के लिये हुआ,इसका पंजी में संधारित कर प्रत्येक दिन महाबिद्यालय के प्रशासन/अधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा।

15.अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जायगा।

16.किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय,पटना होगा।

17.समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत नियमन/संकल्प/परिपत्र का अनुपालन करना होगा।

18.कय समिति का निर्णय अंतिम होगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी/सभी निविदा को रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18/6/24

प्राचार्य
नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना।

18-6-24 18/06/24